

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / २२११ / २०२३ दिनांक २७.०७.२०२३

श्री रूपेन्द्र चौहान (RJ00972), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, भीलवाड़ा को दिनांक 28.06.2023 से 05.07.2023 तक 08 दिनों का उपायित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री चौहान की अनुपस्थिति में अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
राजस्ट्रार (वर्गीकरण)
२७.७.२०२३

क्रमांक:-स्था.बी.2(4) / १३८ / २०१५ / ४७५७

दिनांक २७.०७.२०२३

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 3948 दिनांक 06.07.2023 के सन्दर्भ में।
- श्री रूपेन्द्र चौहान (RJ00972), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, भीलवाड़ा।
- अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, भीलवाड़ा।
- अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, भीलवाड़ा।

२७.७.२०२३
सहायक राजस्ट्रार